

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद सं-146/12/22

सूर्य प्रकाश बनाम अभिषेक गुप्ता

CNR No-UPKJ040216342022

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० का निस्तारण

दिनांक 16.11.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० का निस्तारण होना है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थी/आवेदक द्वारा विपक्षी के विरुद्ध विभिन्न अभिकथनों के साथ इस आशय का प्रस्तुत है कि विपक्षीगण ने आवेदक को श्रम मंत्रालय में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे कुल 1,16,000/- ले लिये परन्तु उसकी नौकरी नहीं लगी जिनकी शिकायत करने पर विपक्षीगण ने दिनांक 30.09.2022 को समय करीब 02.00 बजे लात घुसो से मारते पीटते व गालिया देने लगे तथा जान से मारने की धमकी दिये। आवेदक थाने गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित किया, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूर होकर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है, याचना की गयी है कि थानाध्यक्ष को आदेशित करें कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें।

प्रार्थना पत्र के आलोक में संबंधित थाना से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि " प्रार्थना पत्र में वर्णित कथानक के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। "

प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है। उन समस्त तथ्यों से आवेदक भली भांति परिचित है। वह अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में स्वयं सक्षम है और विवेचना से किसी नये तथ्य की खोज नहीं करनी है। अतः पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक की ओर से आवेदन परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। तदनुसार निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रार्थना पत्र, परिवाद के रूप में आज ही पंजीकृत हो।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 17.01.2023 को पेश हो।

(मिलिन्द कुमार सिंह)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कन्नौज